अध्याय XII : अल्प संख्यक मामलों का मंत्रालय

12.1 निधियों का असामयिक निर्गम

मंत्रालय ने "राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण" योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए बिना केन्द्रीय वक्फ परिषद (के.व.प.) को कुल ₹1.91 करोड़ की राशि समय से पूर्व जारी की। इससे भारत की समेकित निधि से रोकड़ की समयपूर्व निकासी हुई तथा के.व.प. के पास निधियाँ अनावश्यक रूप से पड़ी रही।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थायी वित्त समिति (स्था.वि.स.) ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) हेतु ₹32.18 करोड़ के परिव्यय सहित "राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण" की योजना को स्वीकृत किया (दिसम्बर 2013)। योजना के अंतर्गत, राज्य/सं.शा.क्षे. वक्फ बोर्डों को केन्द्रीय वक्फ परिषद (के.व.प.), जिसे योजना हेतु कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में नामित किया गया था, के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ही मंत्रालय ने 31 दिसम्बर 2013 को के.व.प. को प्रथम किश्त के रूप में कुल ₹80 लाख समयपूर्व जारी किए। इसके पश्चात् फरवरी 2014 में ₹1.11 करोड़ की दूसरी किश्त जारी की गई। मंत्रालय द्वारा अकारण एक के बाद पुन: निधियॉ जारी किये जाने से यह के.व.प. के पास पड़ी रहीं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निधियां जारी किया जाना यह दर्शाता है कि ऐसा बजटीय प्रावधानों के व्यपगत होने से बचने के लिए किया गया था जो सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन था। तत्पश्चात् सितंबर 2014 में मंत्रालय ने राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लि. को योजना हेतु कार्यान्वयन अभिकरण बनाने का निर्णय लिया। निर्णय इस आधार पर लिया गया था कि के.व.प. एक अन्य परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में विफल रहा था।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2015) कि योजना के अंतिमीकरण में विलम्ब योजना के मसौदे पर राज्य सरकार से टिप्पणियॉ प्राप्त न होना तथा योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त करने में देरी के कारण था।

मंत्रालय ने बाद में कहा (मार्च 2015) कि के.व.प. द्वारा ब्याज सहित अनुदान वापस कर दिया गया था। उसने यह भी बताया कि एक परियोजना हेतु योजना का आरेखन विभिन्न चरणों जैसे योजना आयोग की सैद्धांतिक स्वीकृति, स्था.वि.स. का अनुमोदन तथा फिर कार्यान्वयन के तौर-तरीकों सहित से गुजरता है। स्था.वि.स. ने योजना में के.व.प. को निधियां जारी करने के निर्देश सहित दिसम्बर 2013 में योजना को कुछ संशोधनों के पश्चात् स्वीकृत किया। योजना में कुछ संशोधन निधियों के निर्गम को रोकने हेतु वैध कारण नहीं थे विशेष रूप से जब सभी अपेक्षित औपचारिकताएं पहले ही पूरी की जा चुकी थीं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि योजना के तीव्र कार्यान्वयन हेतु इसे एक अन्य संस्था को स्थानांतरित कर दिया गया था।

उत्तर फिर भी मंत्रालय द्वारा एक के तुरंत बाद अगले निर्गम को स्पष्ट नहीं करता है। निधियों की दो किश्तें जारी करने के पश्चात बीच ही में कार्यान्वयन संस्था को बदलने का मंत्रालय का निर्णय स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण कार्यवाही का सूचक है। इससे मंत्रालय द्वारा निधियों के असामयिक निर्गम से के.व.प. के पास निधियों के अनावश्यक रखे जाने तथा संघ सरकार के बजट द्वारा लक्षित योजना के प्रतिपादन में विलम्ब पर लेखापरीक्षा के तर्क की पुष्टि होती है।